

45788 - मोज़ों पर मसह करने के बाद यदि उन्हें उतार दे तो क्या इससे उसकी तहारत (पवित्रता) नष्ट हो जायेगी ?

प्रश्न

यदि किसी वुजू करने वाले ने मोज़ों या जुराबों पर मसह किया फिर उन्हें निकाल दिया, तो क्या इसके कारण उसकी तहारत (वुजू) व्यर्थ हो जायेगी ?

विस्तृत उत्तर

उलमा (विद्वानों) ने उस आदमी के हुक्म के बारे में मतभेद किया है जिसने वुजू किया और अपने दोनों मोज़ों पर मसह किया फिर उन्हें निकाल दिया।

कुछ उलमा ने कहा है : उसके लिए दोनों पैरों को धोना काफी है, और इसके द्वारा उसका वुजू संपूर्ण हो जायेगा। यह कथन कमज़ोर है, क्योंकि वुजू के अंदर मुवालात (निरंतरता) अनिवार्य है, अर्थात् वुजू के अंगों को धोने के बीच लंबा अंतर नहीं किया जायेगा, बल्कि उसे एक दूसरे के पीछे लगातार धोयेगा।

इसीलिए इब्ने कुदामा रहिमहुल्लाह ने "अल-मुगनी" (1 / 367) में उल्लेख किया है कि यह कथन वुजू के अंदर मुवालात (निरंतरता) के अनिवार्य न होने पर आधारित है, हालांकि वह कथन कमज़ोर है।

तथा दूसरे लोगों का कहना है : इसके कारण उसका वुजू बातिल (व्यर्थ और अमान्य) हो जायेगा, और उसके ऊपर अनिवार्य है कि जब वह नमाज़ पढ़ने का इरादा करे तो पुनः वुजू करे। इन लोगों का तर्क यह है कि मसह को वुजू के स्थान पर रखा गया है, अतः जब मोज़ा हट गया तो पैरों की पवित्रता समाप्त हो गई, क्योंकि ऐसी अवस्था में न तो वह धुला हुआ है और न ही उस पर मसह किया गया है, और जब पैरों में पवित्रता नष्ट हो गयी तो पूरी पवित्रता ही नष्ट होगयी, क्योंकि पवित्रता अंशों में नहीं बट सकती है। इसी कथन को शैख इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह ने अपनाया है, जैसाकि उनके "फतावा संग्रह" (10 / 113) में है।

जबकि दूसरे लोगों का कहना है कि : इस से पवित्रता बातिल नहीं होगी यहाँ तक कि उसका वुजू टूट जाये। सलफ (पूर्वजों) के एक समूह का यही कथन है जिनमें क़तादा, हसन बसरी और इब्ने अबी लैला आदि हैं, और इब्ने हज़म ने "अल मुहल्ला" (1 / 105) में इसी का समर्थन किया है और शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिय्या और इब्नुल मुंज़िर ने इसी को अपनाया है, और नववी ने "अल-मजमूअ" (1 / 557) में कहा है : यही पसंदीदा और सबसे ठोस है।

इन लोगों ने कई प्रमाणों से तर्क स्थापित किया है :

1- तहारत (पवित्रता या वुजू) हदस से ही नष्ट होती है, और मोज़े को निकाल देना कोई हदस (नापाकी) नहीं है।

2- मोज़े पर मसह करने वाले की तहारत शरई प्रमाण के द्वारा सिद्ध (साबित) है, और उसके व्यर्थ और नष्ट होने का हुक्म किसी अन्य शरई प्रमाण के द्वारा ही लगाया जा सकता है, और यहाँ कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जो मोज़े निकालने से वुजू के टूटने पर तर्क स्थापित करता हो।

3- वुजू करने के बाद बाल मुंडाने पर क़यास (अनुमान) करना, क्योंकि जो व्यक्ति वुजू करे और अपने सिर का मसह करे, फिर अपने बाल मुंडा ले, तो उसकी तहारत (पवित्रता) बाकी रहती है, इसके कारण वह टूटती नहीं है, अतः इसी प्रकार वह व्यक्ति भी है जो मोज़ों पर मसह करे फिर उन्हें उतार दे।

आदरणीय शेख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह कहते हैं :

"यदि आदमी मोज़े या जुराब को उस पर मसह करने के बाद उतार दे तो इसके कारण उसकी तहारत (पवित्रता अर्थात वुजू) समाप्त नहीं होगी, अतः शुद्ध कथन के अनुसार वह जितनी भी चाहे नमाज़ पढ़ सकता है यहाँ तक कि उसका वुजू टूट जाये।"

"मजमूओ फतावा इब्ने उसैमीन" (11 / 193) से समाप्त हुआ।

देखिये: "अल-मुग़नी" (1 / 366 - 368), "अल-मुहल्ला" (1 / 105) "अल-इख्तियारात" (पृष्ठ: 15) "अशशर-हुल मुम्ते" (1 / 180)